कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा), रायपुर

निविदा

क्रं./खाद्य/राशनकार्ड बैंक खाता/2015/1035 रायपुर, दिनांक 20/03/015

छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के तहत राशनकार्डधारियों से प्राप्त बैंक खाते की जानकारी की डेटाएंट्री हेतु निविदा शर्ते

//निविदा शर्ते//

कलेक्टर कार्यालय (खाद्य शाखा), रायपुर में छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के तहत राशनकार्डधारियों से प्राप्त बैंक खाते की जानकारी की डेटाएंट्री ऑफ लाईन साफ्टवेयर में करने हेतु निम्न शर्तो के अध्याधीन निविदा दिनांक 27.03.2015 को समय दोपहर 02:00 बजे तक कार्यालय अपर कलेक्टर, कमरा नंबर 17, कलेक्टोरेट परिसर, रायपुर में आमंत्रित की जाती है, निविदा की नियम व शर्ते निम्नानुसार है :–

1. निविदा जमा करने वाले फर्म का जीवित पंजीयन वाणिज्यकर विभाग छत्तीसगढ़ से होना अनिवार्य है (प्रमाण पत्र एवं वित्तीय वर्ष 2013–14 में जमा किये गये टेक्स की रसीद संलग्न करें)।
2. निविदा जमा करने वाले फर्म का जीवित सर्विस टेक्स पंजीयन होना अनिवार्य है (प्रमाण पत्र एवं वित्तीय वर्ष 2013–14 में जमा किये गये टेक्स की रसीद संलग्न करें)
3. निविदा जमा करने वाले फर्म को डेटा एंट्री के कार्य का न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है।
4. निविदाकर्ता को निविदा प्रपत्र के साथ अमानत राशि के रूप में रूपये 25,000/– (पच्चीस हजार रूपये) का डी.डी. संलग्न करना अनिवार्य है, जो कि कलेक्टर (खाद्य शाखा), रायपुर के नाम पर देय होगा। (जो लिफाफा "अ" में होगा)
5. बैक खाता की जानकारी की डेटाएंट्री करने के स्थल की जानकारी से इस कार्यालय को अवगत कराना होगा।
6. इस कार्य के लिये अच्छी गुणवत्ता के कम्प्यूटर, इंटरनेट कनेक्टिविटी की मशीन एवं कुशल कर्मचारियों इत्यादि सभी व्यवस्था संबंधित फर्म के द्वारा किया जाना होगा, इसके लिए अतिरिक्त राशि नहीं दी जावेगी।
7. कार्य समय सीमा में पूर्ण करने का दायित्व निविदाकार का होगा, कार्य पूर्ण करने की अधिकतम सीमा 1 माह के भीतर होगी।
8. डाटा एंट्री किये जाने वाले बैंक खाता की जानकारी संबंधी रजिस्टर एवं दस्तावेज अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः डाटा एंट्री के समय यह सुनिश्चित करें कि दस्तावेज क्षतिग्रस्त न हो।
9. कम्प्यूटर तथा अन्य संबंधित उपकरण की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

10. स्वीकृत न्यूनतम दर के आधार पर कार्य आबंटन का निर्णय कलेक्टर द्वारा लिया जावेगा। कार्य की मात्रा अधिक होने पर कार्य एक से अधिक निविदाकारों को दिया जा सकता है। निविदाकारों द्वारा कार्य नियत समय में अनुबंध अनुरूप नहीं किये जाने पर निविदा निरस्त किये जाने का अधिकार कलेक्टर रायपुर को होगा।

11. आवश्यकतानुसार प्रस्तुत निविदा दरों के संबंध में निविदाकारों से नेगोशिएशन किया जा सकेगा।

12. निविदा की शर्तो के अनुसार स्वीकृत निविदाकार एवं कार्यालय कलेक्टर के मध्य 100 रूपये गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर में अनुबंध करेगा। अनुबंध के पश्चात् ही स्वीकृतकर्त्ता अधिकारी द्वारा संबंधित फर्म को कार्य आदेश जारी किया जावेगा।

13. कार्य गुणवत्ता अनुरूप नहीं होने की स्थिति में कुल भुगतान राशि में से 3 प्रतिशत की दर से कटौती करने का अधिकार कलेक्टर रायपुर को होगा।

14. जिस निविदादाता फर्म का निविदा स्वीकृत नहीं होगा, उनकी अमानत राशि लौटा दी जावेगी और जिसकी निविदा स्वीकृत होगी उनकी अमानत राशि अनुबंध कार्य पूर्ण होने के पश्चात् देय होगी।

15. जिस निविदादाता फर्म का निविदा दर मान्य किया जावेगा। यदि किसी कारण से अपनी निविदा वापस ले लेता है या निविदा के अनुसार कार्य नहीं कर पाता है तो ऐसी स्थिति में अमानत राशि राजसात कर दी जावेगी और फर्म के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही नियमानुसार की जावेगी।

16. निविदा अंतिम तिथि को समय सायं 04:00 बजे, कार्यालय अपर कलेक्टर, कमरा नंबर 17, कलेक्टोरेट परिसर, रायपुर में समिति के समक्ष खोले जायेंगे। निविदा खोले जाने के समय पर निविदा जमाकर्ता फर्म या फर्म के प्रतिनिधि उपस्थित हो सकते है।

17. जिस निविदादाता फर्म का निविदा दर स्वीकृत किया जाता है, उसे कार्य आदेश मिलते ही आगामी दिवस निविदा कार्य करना प्रारंभ करना अनिवार्य होगा।

18. निविदा/कार्यादेश अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार कलेक्टर रायपुर में निहित होगा एवं किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में कलेक्टर रायपुर का निर्णय अंतिम होगा। कोई भी न्यायालयीन वाद उत्पन्न होने पर उसका क्षेत्र रायपुर, जिला रायपुर में होगा।

19. निविदा की दर स्वीकृत होने पर फर्म को राशि का भुगतान कार्य प्रगति के आधार पर तीन किस्तों में देय की जावेगी। प्रथम किश्तमें 30 प्रतिशत राशि का भुगतान, द्वितीय किश्त में 30 प्रतिशत राशि का भुगतान एवं अंतिम किश्त 40 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जावेगा। राशि के भुगतान करने से पूर्व संबंधित फर्म द्वारा किए गए कार्य को संबंधित क्षेत्र के खाद्य निरीक्षक से सत्यापन कराना अनिवार्य होगा।

20. संबधित फर्म द्वारा नियमानुसार सर्विस टैक्स, वेट टैक्स एवं टी.डी.एस. का भुगतान स्वयं करेगे।

21. जो निविदा से निर्धारित अवधि के पश्चात व्यक्तिगत अथवा डाक से प्राप्त होगी उन पर विचार नहीं किया जायेगा।

22. निविदा निर्धारित प्रारूप पर ही प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

23. लिफाफा ''अ'' अमानत राशि तथा लिफाफा ''ब'' दरों से संबंधित होगा।

24. अनुबंधित अवधि के दौरान यह कार्य निविदाकर्ता के द्वारा ही संपन्न किया जावेगा उसे यह कार्य अन्य संस्था अथवा किसी अन्य को असाईन करने का अधिकार नहीं होगा।

संलग्न :– निविदा फार्म एवं लिफाफा प्रारूप।

कलेक्टर 20/3/15
रायपुर

कं./खाद्य/राशनकार्ड बैंक खाता/2015/ 1035 **रायपुर, दिनांक** 20/03/015

प्रतिलिपि :–

1. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. कलेक्टोरेट परिसर, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। विभागीय वेबसाईट www.raipur.gov.in में अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।

कलेक्टर 20/3/15
रायपुर

//निविदा फार्म//

क्रं. .... वर्ष 2015

1. निविदा ज्ञापन नंबर – ....
2. निविदाकर्ता का नाम एवं संपूर्ण पता – ....
   फोन नंबर सहित ....
   ....
3. कम्पनी/फर्म का नाम – ....
4. कम्पनी/फर्म का संपूर्ण पता – ....
   फोन नंबर सहित ....
   ....
5. कम्पनी/फर्म का रजिस्ट्रेशन नं. – ....
   (फर्म रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति संलग्न करें)
6. वाणिज्यक कर पंजीयन का जीवित प्रमाण पत्र – ....
7. सर्विस टैक्स पंजीयन का जीवित प्रमाण पत्र – ....
8. कार्य से संबंधित उपकरण एवं कर्मचारियों – ....
   की उपलब्धता की जानकारी ....
9. कार्य का अनुभव – ....
   (यदि कोई प्रमाण पत्र हो तो उसकी प्रति संलग्न करें)
10. कलेक्टर के नाम पर अमानत राशि 25,000/– ....
    का बैंक ड्राफ्ट नंबर एवं दिनांक

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

घोषणा पत्र

मैं .... शपथ पूर्वक घोषणा करता हूं कि इस निविदा पत्र की सभी प्रविष्टियां सत्य है। मैनें निविदा की शर्तो को ध्यान पूर्वक पढ़ लिया है निविदा की सभी शर्ते मंजूर है। मैं उनके पालन का वचन देता हूं।

दिनांक

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

//लिफाफा "अ"//

अमानत राशि के रूप में रूपये 25,000/– (पच्चीस हजार रूपये) का डी.डी. संलग्न करना अनिवार्य है, जो कि कलेक्टर (खाद्य शाखा) रायपुर के नाम पर देय होगा, जो लिफाफा "अ" में होगा। लिफाफा के ऊपर लिफाफा "अ"– अमानत राशि अंकित होना चाहिये।

//लिफाफा "ब"//

निविदा दर (प्राईस बिड) जो लिफाफा "ब" में होगा। लिफाफा के ऊपर लिफाफा "ब"– निविदा दर (प्राईस बिड) अंकित होना चाहिये।

क्रमांक	कार्य का विवरण	दर
1	बैंक खाते की जानकारी की ऑफ लाईन साफ्टवेयर में डेटाएंट्री एवं रिकार्ड फाईल तैयार कर करना	रू. .... प्रति रिकार्ड

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर